BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 26 जुलाई, 2022 **थाना ककोड**

स्वाट टीम एवं थाना ककोड पुलिस द्वारा 22 वर्षीय अपहृत युवक चेतन सकुशल बरामद, 04 अपहरणकर्ता गिरफ्तार

दिनांक 24.07.2022 को गिरिराज सिंह पुत्र खचेडू सिंह निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड हाल पता मानसरोवर कलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर द्वारा थाना ककोड पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि दिनांक 23-07-2022 को उनका 022 वर्षीय लडका चेतन गावं से बुलन्दशहर गया था। लेकिन बुलन्दशहर नही पहुंचा और न ही वापस आया तथा लडके को छोडने के लिए फोन द्वारा 25 लाख 70 हजार की रंगदारी मांगने एव चेतन के दोस्त को व्हाटसएप नं0 पर बलैंक चैक भेजकर बैंक खाते में रुपये भिजवाने के लिए परिजनो को सूचित करने के लिए कहा गया। इस संबंध में तत्काल तहरीर के आधार पर थाना ककोड पर मुअसं-170/2022 धारा 364-ए भादवि पंजीकृत किया गया।

अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा स्वाट व सर्विलांस टीम सहित कई टीम गठित कर लगाया गया था। गठित पुलिस टीमों द्वारा अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे तथा विवेचना कार्यवाही से यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 25/07/2022 को अपहृत के बहनोई राजकुमार उर्फ राजू पुत्र सुरेन्द्र निवासी अम्बा कालोनी बुलन्दशहर के मोबाइल पर दो वीडियो अपहरणकर्ताओ द्वारा मोबाइल न- 8535094434 से भेजी गयी। जिसमे 25 लाख 70, 000 रूपये की माँग की गयी। जाँच मे सीसीटीवी कैमरो व अन्य स्थानो पर लगे कैमरो की चेकिंग से एक अर्टिगा गाडी नं0- यूपी-UP-81CT-9308 द्वारा अपहृत चेतन को अपहरण करना संज्ञान मे आया।

दिनांक 25/26-07-2022 की रात्रि में पुलिस टीम को मुखिबर खास द्वारा सूचना दी गयी एक अर्टिगा कार जिससे धनौरा के लडके का बुलन्दशहर से अपहरण किया गया है, वह कुटवाया रोड से निकलने वाली है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए ककोड रोड कुटवाया के पास से 04 अपहरणकर्ताओ को गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत युवक चेतन को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्तों का एक साथी मोटरसाईकिल लेकर फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अपहृत युवक चेतन द्वारा बताया गया कि उसे मामा ढाबा सरदार होटल एचपी पेट्रोल पम्प के सामने नहर वाई के पास बुलन्दशहर रोड से अर्टिगा गाडी से 1. दीपक उर्फ लवली, 2. बबलू, 3. अशुंल, 4. सतीश, 5. सूरज द्वारा अगवा किया था। जिसके बाद अभियुक्तो द्वारा उसे रस्सी से बाँधकर मारपीट कर आँखों पर पट्टी बाँधकर एक जंगल मे नगरिया गाँव अलीगढ एक खण्डहर मे ले गये और घर वालो से 25 लाख 70000/-रू0 की माँग की। अब भी अपहृत को बाँधकर कहीं दूसरी जगह ले जा रहे थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ककोड पर मु0अ0सं0- 171-172/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0- 173-174/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. दीपक उर्फ लवली पुत्र जोगेन्द्र निवासी पैराई थाना गभाना जनपद अलीगढ
2. बबलू पुत्र जोगेन्द्र निवासी उपरोक्त
3. अंशूल पुत्र रेशमपाल सिंह निवासी मूसेपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ
4. सूरज पुत्र रघुवीर सिंह निवासी नगरिया थाना गभाना जनपद अलीगढ

बरामदगी-

1- 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस
2- 02 चाकू
3- 01 गाडी अरटिका नंबर-यूपी-81सीटी-9308
4- 05 मोबाईल फोन
5- एक अदद रस्सी का टुकडा व साडी सफेद रंग की

स्वाट टीम-

1. श्री दिनेश सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 अनुराग भदौरिया, मु0आ0 मनोज दीक्षित, मु0आ0 जितेन्द्र, मु0आ0 विकास, मु0आ0 हरेन्द्र, का0 कपिल, का0 राहुल, का0 मनीष त्यागी, का0 नीरज , का0 सदीप, का0 प्रबली तोमर, का0 विशाल, का0 अक्षय़ त्यागी, का0 वसीम

थाना ककोड पुलिस टीम-

1- श्री राजपाल सिहं तोमर प्रभारी निरीक्षक ककोड
2- व0उ0नि0 श्री विनय कुमार, उ0नि0 श्री शीलेश गौतम
3- का0 सोनू बालियान, का0 जाकिर अली, म0आ0 कविता

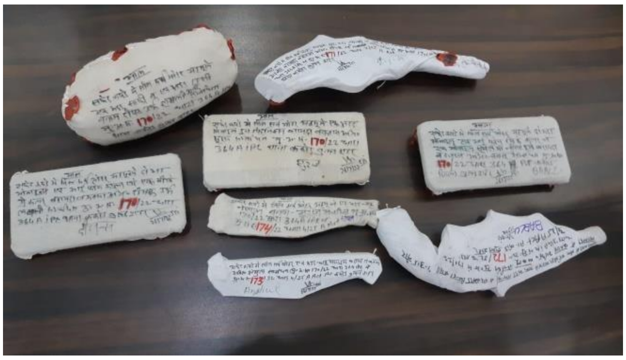

मीडिया सेल बुलंदशहर